

## उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर०एम०आर० सं०- 16/2014-15

बड़का मरांडी ..... आवेदक

बनाम

चपली रानी एवं अन्य ..... विपक्षी

॥ आदेश ॥

03/05/2016

यह रे०मि० रिविजन वाद सं० 16/2014-15 बड़का मरांडी बनाम चपली रानी एवं अन्य, मौजा कुसुमडीह, अंचल मसलिया के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के आर०ई० वाद सं० 80/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2014 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।


अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा कुसुमडीह के दाग सं० 179 जो गैजर सर्वे सेटेलमेंट में मनसा राणा वो धुड़का राणा के नाम से दर्ज है। विपक्षी गण जमाबन्दी रैयत के पोती है, के द्वारा आवेदक को प्रश्नगत अतिक्रमित जमीन से उच्छेदित करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। इस पर अंचल अधिकारी, मसलिया से जांच प्रतिवेदन प्राप्त की गई। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आवेदक प्रश्नगत जमीन कुरफा बन्दोबस्ती द्वारा वर्ष 1963 में प्राप्त किया है एवं मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहा है। निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक को आवासीय मकान को छोड़कर शेष भूमि से उच्छेदित किया गया है। इसी आदेश के विरुद्ध मैं यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

आवेदक का दावा है कि उनका दखल प्रश्नगत जमीन पर बंगला साल 1342 यानि वर्ष 1935 ई० में कुरफा बन्दोबस्ती के आधार पर है एवं दखलकार है। किन्तु उनके द्वारा दाखिल सादा कागज में लिखित कुरफा बन्दोबस्ती कागजात बंगला साल 1363 यानि 1956 में बनाया गया है। प्रश्नगत जमीन विपक्षियों की जमाबन्दी जमीन है जो कृषि योग्य एवं अहस्तान्तनीय है। सं०५० काश्तकारी अधिनियम के अनुसार यह कुरफा बन्दोबस्ती की मान्यता तभी दी जा सकती है जब यह बन्दोबस्ती सं०५० काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के 12 वर्ष यानि वर्ष 1937 का हो, किन्तु आवेदक का दावा वर्ष 1956 में प्राप्त कुरफा बन्दोबस्ती के आधार पर है। ऐसी स्थिति में आवेदक का दावा स्वीकारणीय नहीं है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

  
उपायुक्त

दुमका।

  
उपायुक्त  
दुमका।